April - June 2017

Rajasthan Police Academy

Newsletter

दिनांक 13 जून 2017 को दीक्षान्त परेड के अवसर पर माननीया मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, गृहमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार महानिदेशक पुलिस, राजस्थान एवं निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर

इस अंक में .....

- नारी शक्ति को समर्पित दीक्षान्त परेड समारोह
- संगठित व साईबर अपराधों के अनुसंधान पर प्रशिक्षण
- केन्द्रीय गृह मंत्रालय टीम द्वारा अकादमी का निरीक्षण
- राजस्थान पुलिस अकादमी में पहली बार Change Management विषय पर प्रशिक्षण
- सैन्ट्रल बैण्ड का स्वर्णिम प्रदर्शन
- अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अकादमी में हुआ सामूहिक योगाभ्यास
- रक्त दान अभिप्रेरण सत्र

निदेशक की कलम से ...

"Don't watch the clock;
Do what it does.
KEEP GOING"

Time is the one thing that every body on this planet has in common and in equal quantity. The clock keeps moving, regardless. So do what it does. If you are struggling, keep going; if things are great, keep going. The clock will never stop and neither should you. हमारे उपनिषदों में भी बारम्बार **'चरैवेति–चरैवेति'** का संदेश दिया है जो कर्म व उद्यमशीलता के लिए प्रेरित करता है। इन्हीं उक्तियों को मार्गदर्शक स्वीकार करते हुए राजस्थान पुलिस अकादमी नित नये उद्यमों, उपक्रमों और प्रशिक्षणों के साथ प्रगति की राह की ओर अग्रसर है।

13 जून 2017 को **नारी शक्ति और नारी सशक्तिकरण को समर्पित** 188 नव प्रशिक्षु महिला आरक्षीगण का **दीक्षांत परेड समारोह** अकादमी परिसर में **श्रीमती वसुन्धरा राजे, माननीय मुख्यमंत्री,** राजस्थान सरकार के मुख्य आतिथ्य तथा **श्री गुलाब चन्द कटारिया, माननीय गृहमंत्री,** राजस्थान सरकार के विशिष्ट आतिथ्य में अत्यन्त कौशल व भव्यता के साथ सम्पन्न हुआ। इसके लिए अकादमी के सभी अधिकारी व कर्मचारी बधाई के पात्र हैं।

राजस्थान पुलिस अकादमी **'साइबर अपराध अनुसंधान'** के प्रशिक्षण के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान के रूप में उभर कर आयी है। गत एक वर्ष में इस विषय पर कई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर राजस्थान पुलिस के 275 अधिकारियों को **'साइबर इन्वेस्टिगेटर्स'** के रूप में प्रशिक्षित किया गया है। इन कार्यक्रमों को आयोजित करने में **राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद, सी–डेक हैदराबाद, MNIT जयपुर, मौलाना आजाद एन.आई.टी. भोपाल व कई ख्यातनाम साइबर एक्सपर्ट्स** का सहयोग लिया जा रहा है।

इस तिमाही में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए **राजस्थान पुलिस सेन्ट्रल बैण्ड,** जो राजस्थान पुलिस अकादमी में ही केन्द्रित, अभ्यासरत एवं प्रशिक्षणरत है, ने दिनांक 15 मई से 19 मई 2017 तक पंजाब पुलिस अकादमी, फिल्लौर में आयोजित 18वीं अखिल भारतीय पुलिस बैण्ड प्रतियोगिता–2017 में 17 राज्यों तथा 07 केन्द्रीय पुलिस संगठनों की टीमों की कड़ी प्रतिस्पर्द्धा में शानदार प्रदर्शन कर ब्रास बैण्ड प्रतिस्पर्धा में प्रथम स्थान प्राप्त कर **स्वर्ण पदक** प्राप्त किया है।

राजस्थान पुलिस अकादमी द्वारा सामाजिक सरोकारों के साथ जुड़ने की परम्परा को आगे बढ़ाते हुए 31 मई 2017 को **World No Tobacco Day** के अवसर पर अकादमी के प्रशिक्षकों एवं प्रशिक्षुओं हेतु एक अभिप्रेरण सत्र आयोजित किया गया। महिला सतत् शिक्षा की दिशा में 188 महिला प्रशिक्षुओं के लिए **IGNOU** के सहयोग से आमुखीकरण सेमीनार आयोजित की गयी। अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दिनांक 21 जून को बड़े उत्साह व उल्लास से **Common Yoga Protocol** के अनुसार विशाल योगाभ्यास का कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, प्रशिक्षकों व प्रशिक्षुओं ने सामूहिक योगाभ्यास किया।

अपने लक्ष्य को दृष्टि–पथ में रख औपनिषदिक मंत्र **'चरैवेति–चरैवेति'** का घोष गुंजाते हुए राजस्थान पुलिस अकादमी भारत की सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी बनने की ओर त्वरित गति से अग्रसर है।

जय हिन्द!

राजीव दासोत
निदेशक

नारी शक्ति को समर्पित दीक्षान्त परेड समारोह

''प्रदेश में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने में महिला पुलिसकर्मियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। महिला पुलिसकर्मियों की बढ़ती संख्या के कारण राज्य पुलिस पहले की अपेक्षा अधिक मानवीय, संवेदनशील और जवाबदेह हुई है। पुलिस बल में महिलाओं की अच्छी उपस्थिति से आया यह बदलाव सुखद है और अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति, कौशल तथा जज्बे से महिला पुलिसकर्मियों ने यह साबित भी किया है कि वे अपने पुरूष सहकर्मियों से किसी मायने में कमजोर नहीं हैं।''

मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने 13 जून 2017 को राजस्थान पुलिस अकादमी परिसर में 66वें बैच की 188 नव प्रशिक्षु महिला आरक्षी के दीक्षान्त परेड समारोह को संबोधित करते हुए उपर्युक्त शब्दों में पुलिस में महिलाओं की सार्थकता को रेखांकित किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की आंतरिक सुरक्षा के सामने चुनौतियां बढ़ रही हैं और हमारी प्रशिक्षित, कुशल तथा चुस्त पुलिस इन चुनौतियों का बखूबी सामना करने में सक्षम हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पुलिसकर्मियों को आधुनिकतम प्रशिक्षण देने तथा उपकरणों एवं तकनीक से सुसज्जित करने के सभी उपाय कर रही है। इसके लिए साइबर एवं आर्थिक अपराधों का अनुसंधान,

पुलिसकर्मियों के व्यवहार में सुधार संबंधी नए कोर्सेज प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में शामिल करवाए जा रहे हैं। साथ ही पुलिस अकादमी में यूनिसेफ के सहयोग से चाइल्ड प्रोटेक्शन, सामाजिक सुरक्षा तथा जेंडर बजटिंग पर भी प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है।

श्रीमती राजे ने पुलिस बल में शामिल होने जा रही इन सभी नव प्रशिक्षु महिला आरक्षीगण को शुभकामनाएं देते हुए आशा व्यक्त की कि वे अपनी कार्यप्रणाली में निष्पक्षता तथा पारदर्शिता से राज्य पुलिस के गौरवशाली अतीत को बनाए रखेंगी। उन्होंने प्रशिक्षु कांस्टेबल **सुवा कंवर** को बैच की **बेस्ट ऑल राउंडर** तथा **बेस्ट इण्डोर प्रोबेशनर** के रूप में सम्मानित किया, साथ ही सर्वश्रेष्ठ फायरिंग के लिए प्रशिक्षु कांस्टेबल सुश्री मुकेश को तथा बेस्ट आउटडोर प्रशिक्षु के रूप में श्रीमती रीनू जाट को सम्मानित किया।

श्रीमती राजे ने इन महिला पुलिसकर्मियों की आकर्षक परेड का निरीक्षण किया और उनके द्वारा दिखाए गए विभिन्न कौशल प्रदर्शनों की सराहना की।

इससे पहले गृह मंत्री श्री गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि अपने विभिन्न नवाचारों तथा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में सुधार के कारण राज्य पुलिस अकादमी उत्तर भारत की सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी बन गई है। इस अकादमी में एक साल में करीब 5 हजार पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आधुनिकतम प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

पुलिस महानिदेशक श्री मनोज भट्ट ने पधारे हुए सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए माननीया मुख्यमंत्री महोदया का नारी शक्ति को समर्पित महिला प्रशिक्षणार्थियों की दीक्षान्त परेड में पधारकर इस शक्ति में अभिवृद्धि करने के लिए आभार व्यक्त किया। श्री

भट्ट ने कहा कि इन सभी प्रशिक्षु महिला पुलिसकर्मियों को आत्मरक्षा तथा मॉडर्न पुलिसिंग का आधुनिक प्रशिक्षण दिया गया है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर ये सभी प्रदेश के स्कूलों एवं कॉलेजों में बालिकाओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दे सकें। इसके साथ ही उन्होंने राजस्थान पुलिस अकादमी द्वारा किये जा रहे नवाचारों एवं उपलब्धियों की प्रशंसा करते हुए सभी प्रशिक्षकों को उनके द्वारा किये जा रहे प्रयासों के लिए बधाई दी।

राजस्थान पुलिस अकादमी के निदेशक श्री राजीव दासोत ने All-woman परेड में पधारे सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति कोई प्रमाणित करने का विषय नहीं है। नारी स्वयं शक्ति स्वरूपा है, किन्तु हमारा प्रयास रहा है कि यह दीक्षान्त परेड हर पल, हर कदम, हर स्थान पर नारी शक्ति को, नारी स्वाभिमान

को, नारी दृढ़ता को प्रमाणित करे। उन्होंने नारी शक्ति स्वरूपा माननीया मुख्यमंत्री महोदया का उनके अमूल्य समय, अनमोल आशीर्वाद और असीम स्नेह के लिए हार्दिक आभार व्यक्त किया।

श्री दासोत ने महिला प्रशिक्षणार्थियों को आह्वान किया कि वे सुरक्षा, विश्वास व कर्तव्यनिष्ठा का पर्याय बने। उन्होंने सभी अतिथियों, मीडियाकर्मियों, प्रशिक्षणार्थियों के परिजनों तथा राजस्थान पुलिस अकादमी के सभी प्रशिक्षकों का दीक्षान्त परेड समारोह को यादगार बनाने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया।

इस अवसर पर महापौर श्री अशोक लाहोटी, जिला प्रमुख श्री मूल चन्द मीणा, टोंक विधायक श्री अजीत मेहता सहित बड़ी संख्या में पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी, नव प्रशिक्षुओं के परिजन तथा अन्य लोग उपस्थित थे।

नारी शक्ति को समर्पित बड़ा खाना

राजस्थान पुलिस अकादमी में दिनांक 20.05.2017 को नारी शक्ति को समर्पित बैच संख्या 66 की महिला रिक्रूट्स के लिए शानदार "बड़ा खाना" का आयोजन किया गया। इस आयोजन में जहां एक ओर प्रशिक्षुओं ने पीसीसी प्रशिक्षुओं तथा प्रशिक्षकों के साथ मिलकर सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया, वहीं बड़े खाने में प्रशिक्षकों द्वारा भोज में नव प्रशिक्षुओं की मनुहार की गई।

इस अवसर पर राजस्थान पुलिस अकादमी के निदेशक श्री राजीव दासोत ने 188 महिला प्रशिक्षुओं तथा उप निरीक्षक से पुलिस निरीक्षक के 102 प्रशिक्षुओं को संबोधित करते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम में दी गई प्रस्तुतियों के लिए उनकी भूरि–भूरि प्रशंसा की। श्री दासोत ने बैच संख्या 66 की महिला प्रशिक्षुओं द्वारा अपने सम्पूर्ण प्रशिक्षण के दौरान की गई कड़ी मेहनत व विभिन्न गतिविधियों में उनके द्वारा दिए गए सहयोग की सराहना करते हुए प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर उन्हें बधाई दी। उन्होंने पूरे बैच की प्रशिक्षणार्थियों से गुरु दक्षिणा के लिए अपनी अपेक्षाओं को इस प्रकार व्यक्त किया –

गर नहीं है रास्ता तो रास्ता पैदा करो,
जिन्दगी में जिन्दगी का हौसला पैदा करो।
दे सको तो मोम को भी रुप दो फौलाद का,
कर सको तो पत्थरों में भी आईना पैदा करो।।

साईबर अपराधों के अनुसंधान पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

राजस्थान पुलिस अकादमी में दिनांक 17 से 27 अप्रैल, 22 मई से 1 जून तक दो 10 दिवसीय साइबर अपराधों के अनुसंधान पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये, जिनमें कुल 65 पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में पुलिस अधिकारियों को साईबर अपराधों की जानकारी के साथ–साथ इनके अनुसंधान, सी.डी.आर. विश्लेषण, साईबर अपराध के अनुसंधान के दौरान विभिन्न इलेक्ट्रोनिक साक्ष्यों की पहचान, हैश वैल्यू निकालना, राईट ब्लोकर की मदद से इमेजिंग करना, इमेज का विश्लेषण करना, चैन ऑफ कस्टडी, संदिग्ध इलेक्ट्रोनिक डिवाईस की पैकिंग कर एफएसएल भिजवाना, एफएसएल से पूछे जाने वाले प्रश्न तथा पूरी अनुसंधान प्रक्रिया के दौरान, क्या करना और क्या नहीं करना चाहिए, की जानकारी दी गयी।

पुलिस निरीक्षकों के लिए आयोजित हुए रिफ्रेशर कोर्स

राजस्थान पुलिस अकादमी में पुलिस निरीक्षकों की कानूनी जानकारियों को अद्यतन करने के उद्देश्य को लेकर दिनांक 10 से 14 अप्रैल, 15 से 19 मई तथा 19 से 23 जून तक तीन 5 दिवसीय रिफ्रेशर कोर्स आयोजित किये गये जिनमें कुल 79 पुलिस निरीक्षकों ने भाग लिया। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में पुलिस अधिकारियों को साईबर अपराधों के अनुसंधान, सी.डी.आर. विश्लेषण, धोखाधड़ी से सम्बन्धित अपराधों के अनुसंधान आदि के बारे जानकारी दी गयी। पुलिस अधिकारियों को महिलाओं तथा बच्चों से सम्बन्धित अपराधों के अनुसंधान में अपनाई जाने वाली कार्यप्रणाली के बारे में नवीनतम जानकारियां दी गयी। इसके साथ ही कम्युनिटी पुलिसिंग, बीट प्रणाली, वीआईपी सुरक्षा से सम्बन्धित जानकारियां भी दी गयी।

राजस्थान पुलिस अकादमी में पहली बार Change Management विषय पर प्रशिक्षण

राजस्थान पुलिस अकादमी में दिनांक 21 से 23 जून 2017 तक Change Management विषय पर पहली बार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया । इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपनिरीक्षक से पुलिस उप अधीक्षक स्तर के 37 अधिकारियों ने भाग लिया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में विभिन्न विषयों के प्रोफेसर, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों एवं विषय विशेषज्ञों ने बदलाव की जरूरत, बदलाव के प्रति कर्मचारियों के रूख एवं बदलाव के प्रबन्धन के सम्बन्ध में अपने विचार रखे। इसके साथ ही नेतृत्व, मानव संसाधन प्रबन्धन, समय प्रबन्धन तथा तनाव प्रबन्धन जैसे विषयों पर भी व्याख्यान हुए। प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन समारोह में सेवा निवृत्त पुलिस महानिदेशक एवं भूतपूर्व सदस्य राज्य मानवाधिकार आयोग डॉ. एम.के. देवराजन ने बदलाव के महत्व की जानकारी देते हुए बदलाव को सबसे आवश्यक तत्व बताया। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को आवश्यक बदलावों के साथ कार्य करने का आह्वान किया।

संगठित अपराधों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

राजस्थान पुलिस अकादमी में दिनांक 1 मई से 5 मई 2017 तथा 19 जून से 23 जून 2017 तक संगठित अपराधों के अनुसंधान विषय पर दो 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गये जिसमे उपनिरीक्षक से पुलिस निरीक्षक स्तर के 66 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में विषय विशेषज्ञों ने प्रतिभागियों को विभिन्न प्रकार के संगठित अपराधों एवं उनके अनुसंधान के बारे में जानकारी दी।

विभिन्न संगठित गैंग द्वारा अपनायी जाने वाली कार्यप्रणाली, मानव तस्करी, मादक पदार्थों की तस्करी, हथियारों की तस्करी के साथ–साथ आर्थिक अपराधों में अपनाई जाने वाली अनुसंधान विधियों के बारे में जानकारी दी गई। इसके साथ ही गिरफ्तारी, प्रथम सूचना रिपोर्ट के संबंध में नवीनतम प्रावधानों एवं दण्ड विधि संशोधन अधिनियम 2013 के बारे में भी प्रतिभागियों को अवगत कराया जाकर उनकी जानकारी को अद्यतन किया गया।

घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने में पुलिस की भूमिका

घरेलू हिंसा द्वारा मानव अधिकारों का गंभीरतम एवं सर्वाधिक उल्लघंन होता है। घरेलू हिंसा के कारण आत्महत्या की अनेक घटनाएं अखबारों में छपती हैं जिसमें महिलाएं बच्चों सहित जहर खाकर, कुए या कुण्ड में कूद कर, ट्रेन के आगे आकर या फाँसी लगाकर आत्महत्या करती हैं। अधिकांश घटनाओं में मासूमों को भी साथ में मार दिया जाता है। घरेलू हिंसा के एक मामले में पति की उपस्थिति में महिला ने आत्महत्या का प्रयास किया, जिसमें फंदे की गाँठ खुल जाने से महिला बच गयी। पति ने दुबारा से फंदा बनाया और कहा कि तू ऐसे मरने वाली नहीं है, अब झूल। वह झूली और हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गई। घरेलू हिंसा एक बहुत बड़ी त्रासदी है, जिस पर अंकुश लगाने की सख़्त आवश्यकता है। घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला एवं बच्चों पर अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा से प्रभावी ढ़ग से निपटने के लिए घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 पारित किया गया, जिसका उद्देश्य ऐसी महिलाओं को प्रभावी संरक्षण प्रदान करना था जो परिवार के भीतर होने वाली किसी भी प्रकार की हिंसा की शिकार होती हैं। इस अधिनियम की धारा 2 (छ) व धारा 3 के द्वारा घरेलू हिंसा को प्रमुख रूप से चार भागों में विभाजित किया गया, जिसमें शारीरिक हिंसा में मारपीट करना, थप्पड़ मारना, ठोकर मारना, दांत से काटना, लात मारना, मुक्का मारना, धक्का देना, धकेलना या किसी अन्य रीति से शारीरिक पीड़ा या क्षति पहुँचाना शामिल है। लैंगिक हिंसा में बलात् लैंगिक मैथुन, अश्लील साहित्य या कोई अन्य अश्लील तस्वीरों या सामग्री को देखने के लिए मजबूर करना, दुर्व्यवहार करने, अपमानित करने या नीचा दिखाने की लैंगिक प्रकृति का कोई अन्य कार्य अन्यथा जो उसकी प्रतिष्ठा का उल्लंघन करता हो या कोई अन्य अस्वीकार्य लैंगिक प्रकृति का कार्य करना। भावनात्मक हिंसा में अपमान करना, गालियां देना, चरित्र और आचरण इत्यादि पर दोषारोपण, पुरूष संतान न होने के लिए अपमान करना, दहेज इत्यादि न लाने पर अपमान करना, उसके या उसकी अभिरक्षा में किसी बालक को किसी शैक्षणिक संस्था में जाने से रोकना, नौकरी करने से निवारित करना, नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर करना, उसको या उसकी अभिरक्षा में किसी बालक को घर से जाने से रोकना, घटनाओं के सामान्यक्रम में उसके किसी व्यक्ति से मिलने से निवारित करना, जब वह विवाह नहीं करना चाहती हो तो विवाह करने के लिए मजबूर करना, उसकी अपनी पसन्द के व्यक्ति से विवाह करने से रोकना, किसी विशेष व्यक्ति से विवाह करने के लिए मजबूर करना, आत्महत्या करने की धमकी देना, कोई अन्य मौखिक या भावनात्मक दुर्व्यवहार शामिल हैं। आर्थिक हिंसा में उसके या बच्चों के अनुरक्षण के लिए धन उपलब्ध न कराना, उसके या बच्चों के लिए खाना, कपड़े और दवाइयां इत्यादि उपलब्ध न कराना, रोजगार चलाने से रोकना या उसके रोजगार करने में विघ्न डालना, उसकी वेतन, पारिश्रमिक इत्यादि से आय को ले लेना या उसको अपना वेतन पारिश्रमिक उपभोग करने को अनुज्ञात न करना, जिस घर में वह रह रही है, उससे बाहर निकलने को मजबून करना, घर के किसी भाग में जाने या उपभोग करने से उसको रोकना, साधारण घरेलू उपयोग के कपड़ों, वस्तुओं या चीजों के इस्तेमाल से अनुज्ञात न करना, यदि किराए के आवास में रह रही हो तो किराए इत्यादि का संदाय नहीं करना शामिल है।

इस अधिनियम में धारा 12 के अधीन संरक्षण अधिकारी या व्यथित व्यक्ति या व्यथित व्यक्ति के निमित कोई भी अन्य व्यक्ति इस अधिनियम के एक या अधिक अनुतोष चाहने के लिए मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकता है। आदेश पारित करने से पूर्व मजिस्ट्रेट संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता से उसको प्राप्त किसी घरेलू घटना की रिपोर्ट पर विचार करेगा। चाहे गये अनुतोष में प्रतिकर या नुकसानी के संदाय का आदेश किया जाना सम्मिलित हो सकेगा किंतु इससे ऐसे व्यक्ति के प्रत्यर्थी द्वारा की गयी घरेलू हिंसा के कार्यों से हुई क्षति के लिए प्रतिकार या नुकसानी का दावा संस्थित करने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। अधिनियम की धारा 13 में संबंधित को नोटिस की तामिल संरक्षण अधिकारी के मार्फत करवायी जाती है तथा अधिनियम की धारा 14 में कार्यवाहियों के किसी प्रक्रम पर प्रत्यर्थी या व्यथित व्यक्ति को या तो अकेले या संयुक्त रूप से सेवा प्रदाता के किसी ऐसे सदस्यों से परामर्श का निर्देश दे सकेगा, जिसके पास इसकी विहित योग्यता हो। अधिनियम की धारा 15 में मजिस्ट्रेट अपने कृत्यों के निर्वहन में अपनी सहायता के प्रयोजन के लिए कल्याण विशेषज्ञ की सेवाएं प्राप्त कर सकता है तथा अधिनियम की धारा 16 के तहत उचित होने पर कार्यवाहियों का संचालन बन्द कमरे में कर सकता है। अधिनियम की धारा 17 में प्रत्येक महिला को साझा गृहस्थी में निवास करने का अधिकार दिया गया है तथा उसे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त बेदखल नहीं किया जायेगा। मजिस्ट्रेट

अधिनियम की धारा 18 में संरक्षण आदेश, अधिनियम की धारा 19 में निवास आदेश, अधिनियम की धारा 20 में आर्थिक राहत आदेश, अधिनियम की धारा 21 में अभिरक्षा आदेश, अधिनियम की धारा 22 में प्रतिकर आदेश एवं अधिनियम की धारा 23 में अन्तरिम एवं एक पक्षीय आदेश मंजूर कर सकता है।

इस अधिनियम की धारा 5 में पुलिस का कर्त्तव्य घरेलू हिंसा का परिवाद प्राप्त होने पर या इस प्रकार की घटना के स्थान पर अन्यथा हाजिर होने पर पीड़िता को इस अधिनियम के अधीन संरक्षण आदेश, आर्थिक राहत, अभिरक्षा आदेश, निवास आदेश, प्रतिकर आदेश या ऐसे एक से अधिक आदेशों के रूप में अनुतोष प्राप्त करने के लिए आवेदन करने के उसके अधिकार के बारे में बताने के साथ ही सेवा प्रदाताओं की सेवाओं की उपलब्धता की, संरक्षण अधिकारियों की सेवाओं की उपलब्धता की, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन मुफ्त विधिक सेवाओं के उसके अधिकार की उपलब्धता की, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498क के अधीन परिवाद दाखिल करने के उसके अधिकार की, इनमें से जो भी संगत हो, सूचना देना है।

प्रत्यर्थी द्वारा संरक्षण आदेश या किसी अंतरिम संरक्षण आदेश का भंग किये जाने पर इस अधिनियम के अधीन धारा–31 के तहत अपराध माना गया है, जिसमें ऐसी अवधि के कारावास से, जो एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो बीस हजार रूपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, के दण्ड का प्रावधान किया गया है। धारा–32 में धारा–31 के अधीन अपराध को संज्ञेय और गैरजमानतीय बनाया गया है। विधिक आदेशों की अवहेलना के परिवाद पर प्राप्त आदेशों के अनुसरण में पुलिस अग्रिम कार्यवाही कर सकती है।

घरेलू हिंसा के मामले में पुलिस के समक्ष पीड़िता के आने पर उसे भरोसा दिया जाना चाहिए कि पुलिस उसकी सहायता के लिए है। उसे यथा संभव महिला डेस्क अथवा महिला पुलिस अधिकारी के पास भेजा जाना चाहिए तथा इस प्रकार के मामलों में सामाजिक एवं नैतिक सलाह नहीं देनी चाहिए वरन् उचित विधिक सलाह दी जानी चाहिए। महिला के आने पर उसकी आवश्यक सहायता या मेडिकल की आवश्यकता होने पर उसको मेडिकल उपचार के लिए लेकर जाना चाहिए। घरेलू हिंसा की शिकायत आने पर मामला संरक्षण अधिकारी के पास भेजा जाना चाहिए, जिन्हें इस प्रकार के मामलों एवं प्रक्रिया के संबंध में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त होता है। घरेलू हिंसा रिपोर्ट भी महिला द्वारा स्वयं या संरक्षण अधिकारी की सहायता से भरी जाती है। पुलिस का कार्य केवल उसके अधिकारों एवं उपलब्ध सेवाओं के बारे में जानकारी प्रदान करना है। इस प्रकार के मामले में पुलिस का कर्त्तव्य हस्तक्षेप या घरेलू हिंसा को रोकना है। महिला से बात करते हुए हमेशा शालीनता एवं महिला गरिमा का ध्यान रखा जाना चाहिए। घरेलू हिंसा सामाजिक अपराध है, जिसे रोकना हमारा कर्त्तव्य है।

महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों का अध्ययन करने से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि 'घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, में कार्यवाही वास्तविक घरेलू हिंसा के मामलों से बहुत कम होती है। घरेलू हिंसा के अधिकांश मामले भय या मजबूरी में दर्ज नहीं करवाये जाते हैं। अधिकांश महिलाएं स्वयं की इज्जत या बच्चों या स्वयं के भविष्य के लिए इस प्रकार के मामलों को उजागर नहीं करती हैं। इस अधिनियम की प्रक्रिया की जानकारी नहीं होने के कारण भी बहुत से मामले दबे रह जाते हैं। लोगों की दिनचर्या में पुलिस हस्तक्षेप भले ही उचित नहीं माना गया हो परन्तु इस अधिनियम की पुलिस द्वारा जानकारी एवं प्रचार प्रसार से महिलाओं को दैनिक जीवन में घरेलू हिंसा की पीड़ा से मुक्त किया जा सकता है, जिसकी आवश्यकता की अधिनियम में भी व्यवस्था की गई है।

महिलाओं को संरक्षित, सुरक्षित तथा गरिमापूर्ण जीवन प्रदान करना तथा उन्हें विकास के अवसर प्रदान करना परिपक्व प्रजातंत्र एवं संवेदनशील समाज की अहम जिम्मेदारी है। कोख से लेकर अंतिम संस्कार तक उसे हर तरफ असमानता, भेदभाव, दोषारोपण, अवरोध एवं पाबन्दियों का सामना करना पड़ता है। उसकी सुरक्षा के नाम पर लगायी जाने वाली पाबन्दियाँ वह स्वयं ही स्वीकार करती है, क्योंकि अकेले या असंरक्षित होने पर होने वाले हमलों ने उसे मानसिक रूप से इसके लिए तैयार कर दिया है। महिला सुरक्षा की स्थिति में सुधार के साथ ही विशेष रूप से जहाँ उसे पनाह मिलती है, उस स्थान को सुकून का स्थान बनाना अतिशय जरूरी है। सुरक्षा एवं सुकून के अभाव में प्रजातांत्रिक व्यवस्था में महिला को मिलने वाले सभी अधिकार बेमानी हैं। हम सभी को मिलकर घरेलू हिंसा के मामलों में समाज में जागरूकता लाने और इस प्रकार की घटनाओं की रोकथाम के लिए कार्य करना चाहिए।

जगदीश पूनियाँ
आरपीएस

आर्ट ऑफ सुपरविजन ऑफ इन्वेस्टिगेशन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

राजस्थान पुलिस अकादमी में दिनांक 17 से 21 अप्रैल तथा 08 से 12 मई 2017 तक दो 5 दिवसीय आर्ट ऑफ सुपरविजन ऑफ इन्वेस्टिगेशन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये जिनमें कुल 36 पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में पुलिस अधिकारियों को विभिन्न अनुसंधानों के पर्यवेक्षण से संबंधित दिशा निर्देशों तथा कानूनों के बारे में जानकारी दी गई। इसके साथ ही साईबर अपराधों, संगठित अपराधों, आर्थिक अपराधों के अनुसंधान के साथ ही महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित अपराधों के अनुसंधान में रहने वाली कमियों एवं उनके समाधान के संबंध में जानकारी दी गई।

'आर्थिक अपराधों के अनुसंधान' पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

राजस्थान पुलिस अकादमी में दिनांक 24 से 28 अप्रेल तथा 05 जून से 9 जून, 2017 तक दो 5 दिवसीय आर्थिक अपराधों के अनुसंधान पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये, जिनमें कुल 62 पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में पुलिस अधिकारियों को आर्थिक अपराधों की जानकारी के साथ–साथ इनके अनुसंधान तथा ऑनलाईन बैंकिंग फ्रॉड, क्रेडिट कार्ड – डेबिट कार्ड क्लोनिंग, मनी लॉण्ड्रिंग, धोखाधड़ी से संबंधित अपराधों के अनुसंधान में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया एवं इससे संबंधित कानूनों की जानकारी दी गई। इसके साथ ही सेबी द्वारा जारी दिशा निर्देशों के संबंध मे भी जानकारी दी गई।

रक्तदान जागरुकता अभिप्रेरण सत्र

नेत्रदान तथा अंगदान के बाद राजस्थान पुलिस अकादमी ने रक्तदान के प्रति जागरुकता के लिए अभिप्रेरण सत्र आयोजित कर मानव सेवा के प्रति अपनी सोच को जाहिर किया है। विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर 14 जून 2017 को राजस्थान पुलिस अकादमी में यह सत्र आयोजित किया गया जिसमें बड़ी संख्या में प्रशिक्षकों व प्रशिक्षणार्थियों ने भाग लिया।

वरिष्ठ चिकित्सक एवं उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य सेवा से सेवानिवृत्त डॉ. ओ. पी. गुप्ता ने प्रतिभागियों को रक्तदान के संबंध में व्याप्त भ्रांतियों व समस्याओं के समाधान के बारे में जानकारी दी।

राजस्थान पुलिस अकादमी के निदेशक श्री राजीव दासोत ने डॉ गुप्ता का स्वागत करते हुए उनके द्वारा चलाए जा रहे अभियान की सराहना की। श्री दासोत ने रक्तदान के महत्व के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि रक्तदान किसी भी पीड़ित व्यक्ति के जीवन को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

World No Tobacco Day पर अभिप्रेरण सत्र

राजस्थान पुलिस अकादमी में दिनांक 31.05.2017 को World No Tobacco Day के अवसर पर आयोजित अभिप्रेरण सत्र में डॉ. रमेश गाँधी, अध्यक्ष, गाँधी फाउण्डेशन ने तम्बाकू के सेवन को एक कमजोरी बताते हुए इसे मनुष्य को मृत्यु की ओर अग्रसर करने का मार्ग बताया है। इस अभिप्रेरण सत्र में बड़ी संख्या में राजस्थान पुलिस अकादमी के प्रशिक्षक एवं प्रशिक्षुओं ने भाग लिया।

इस अवसर पर राजस्थान पुलिस अकादमी के निदेशक श्री राजीव दासोत ने डॉ. रमेश गाँधी व उनकी टीम का स्वागत करते हुए उनके द्वारा चलाए जा रहे Joint Effort to Eliminate Tobacco (JEET) अभियान को तम्बाकू मुक्ति के लिए एक सार्थक प्रयास बताया तथा उपस्थित सभी प्रतिभागियों को इस अभियान से जुड़ने तथा तम्बाकू मुक्त विश्व बनाने में अपना योगदान करने का आह्वान किया। श्री दासोत ने तम्बाकू को विकास में बाधक बताते हुए वर्ष 2017 में इस संबंध में संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा प्रदत्त थीम Tobacco- A Threat to Development पर कार्य करने के संबंध में प्रेरणा दी।

राजस्थान पुलिस सेन्ट्रल बैण्ड का स्वर्णिम प्रदर्शन

राजस्थान पुलिस अकादमी में केन्द्रित, अभ्यासरत, एवं प्रशिक्षणरत राजस्थान पुलिस सेन्ट्रल बैण्ड की टीम ने दिनांक 15.05.2017 से 19.05.2017 तक पंजाब पुलिस अकादमी, फिल्लौर में आयोजित 18वीं अखिल भारतीय पुलिस बैण्ड प्रतियोगिता 2017 में 17 राज्यों तथा 07 केन्द्रीय पुलिस संगठनों की टीमों की कड़ी प्रतिस्पर्द्धा में शानदार प्रदर्शन कर **ब्रास बैण्ड प्रतिस्पर्धा में प्रथम स्थान** प्राप्त कर **स्वर्ण पदक** हासिल किया है।

इस प्रतियोगिता में राजस्थान पुलिस सेन्ट्रल बैण्ड की टीम द्वारा किए गए प्रदर्शन के फलस्वरुप प्रतियोगिता के समापन समारोह के दौरान आयोजकों द्वारा टीम को प्रदर्शन के लिए आमन्त्रित किया गया जो अपने आप में एक गौरव की बात है। राजस्थान की टीम द्वारा समापन समारोह में किए गए प्रदर्शन ने सभी को मन्त्र मुग्ध कर दिया। समापन समारोह के मुख्य अतिथि पंजाब के पुलिस महानिदेशक ने इस प्रदर्शन की सराहना की।

ज्ञातव्य है कि राजस्थान पुलिस सेन्ट्रल बैण्ड की टीम पूर्व में भी इस प्रकार का प्रदर्शन कर चुकी है। पिछले वर्ष आयोजित इस प्रतियोगिता में इस टीम को चतुर्थ स्थान प्राप्त हुआ था। राजस्थान पुलिस अकादमी के निदेशक श्री राजीव दासोत ने इस टीम को कड़ी मेहनत व लगन करने हेतु निरन्तर अभिप्रेरित किया तथा नई दिल्ली से ख्यातनाम बैण्ड प्रशिक्षक रिटायर्ड मेजर नासिर हुसैन से इस बैण्ड को अनवरत सघन प्रशिक्षण दिलाया जिसके परिणामस्वरुप टीम ने स्वर्ण पदक हासिल कर अपनी प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित किया है।

श्री दासोत ने टीम के मैनेजर श्री जितेन्द्र कुमार, कम्पनी कमाण्डर व टीम कप्तान श्री नरेन्द्र सिंह से व्यक्तिशः मुलाकात कर उन्हे इस प्रदर्शन के लिए हार्दिक बधाई दी तथा भविष्य में अपने इस प्रदर्शन को बनाये रखने का भी आह्वान किया है। टीम के इस प्रदर्शन के लिए पुलिस महानिदेशक श्री मनोज भट्ट ने भी बधाई एवं शुभकामना प्रेषित की है।

ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एण्ड डवलपमेन्ट, (BPR&D) नई दिल्ली की **जोनल कमेटी** द्वारा **यूनियन होम मिनिस्टर्स ट्रोफी टू द बेस्ट पुलिस ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट** प्रदान किये जाने के संबंध में दिनांक 16–17 मई 2017 को राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर का निरीक्षण किया गया।

राजस्थान पुलिस अकादमी का **वार्षिक निरीक्षण श्री नन्दकिशोर,** अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (प्रशिक्षण) राजस्थान, जयपुर द्वारा दिनांक 19.05.2017 को किया गया। इस दौरान उन्होंने अकादमी की इण्डोर, आउटडोर एवं प्रशासनिक गतिविधियों के बारे में जानकारी लेकर सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश दिये।

दिनांक 27.06.2017 को **यूनिसेफ स्टेट चीफ राजस्थान** डॉ. इसाबेल बार्दम सेवेदे द्वारा राजस्थान पुलिस अकादमी का भ्रमण किया गया एवं पुलिस अकादमी द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से चलाये जा रहे "Strengthening Child Friendly Police System in Rajasthan" कार्यक्रम के सम्बन्ध में श्री राजीव दासोत, निदेशक आरपीए से विस्तृत चर्चा की।

हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर में व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे **प्रशिक्षु भारतीय प्रशासनिक सेवा** के वर्ष 2016 बैच के 8 अधिकारियों व वर्ष 2014 बैच के 1 अधिकारी ने दिनांक 28.06.2017 को प्रातः राजस्थान पुलिस अकादमी का औपचारिक भ्रमण किया। उन्हें एक पावर पाइंट प्रेजेन्टेशन के माध्यम से अकादमी की विभिन्न शैक्षणिक व सह शैक्षणिक गतिविधियों की जानकारी दी गयी।

अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राजस्थान पुलिस अकादमी में योगाभ्यास

अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दिनांक 21 जून 2017 को राजस्थान पुलिस अकादमी में बड़े उत्साह व उल्लास से सामूहिक योगाभ्यास का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर गुरुकुल योग संस्थान से योग गुरु श्री जनार्दन राव व उनके साथियों ने सभी को योगाभ्यास करवाया।

संपूर्ण योगाभ्यास कार्यक्रम आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी **सामान्य योग अभ्यासक्रम** (प्रोटोकॉल) के अनुसार संचालित किया गया।

राजस्थान पुलिस अकादमी के निदेशक श्री राजीव दासोत ने गुरुकुल योग संस्थान, श्री जनार्दन राव व उनकी टीम का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए सभी को स्वस्थ शरीर के लिए योग के महत्व के बारे में जानकारी दी।

इस कार्यक्रम में अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस एवं निदेशक राजस्थान पुलिस अकादमी श्री राजीव दासोत, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस सिविल राईट्स श्री एम. एल. लाठर, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस एसडीआरएफ श्री बी.एल. सोनी सहित लगभग 600 पुलिस अधिकारियों, राजस्थान पुलिस अकादमी के प्रशिक्षकों तथा प्रशिक्षणार्थियों ने भाग लेकर योगाभ्यास किया।

विश्व पर्यावरण दिवस पर अकादमी ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति दिखाई प्रतिबद्धता

विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर दिनांक 5 जून, 2017 को राजस्थान पुलिस अकादमी ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया। इस अवसर पर राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर के तत्वावधान में आयोजित की गई पर्यावरण जागरूकता रैली में राजस्थान पुलिस अकादमी के प्रशिक्षकों एवं प्रशिक्षुओं ने भाग लेकर लोगों को प्रकृति के साथ जोड़ने के अभियान में अपना सार्थक योगदान दिया।

इसी प्रकार पर्यावरण संरक्षण के संबंध में विज्ञान भारती के तत्वावधान में एक साईकिल रैली निकाली गई। इस रैली में भी राजस्थान पुलिस अकादमी के 51 प्रशिक्षक एवं प्रशिक्षुओं ने भाग लिया।

राजस्थान पुलिस अकादमी के निदेशक एवं अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्री राजीव दासोत के प्रदूषण मुक्त पर्यावरण के सन्देश को आमजन तक पहुँचाने की प्रतिबद्धता को मूर्तरूप देने के लिए अकादमी के प्रशिक्षकों व प्रशिक्षुओं ने पर्यावरण जागरूकता रैली व साईकिल रैली में भाग लेकर पर्यावरण के प्रति अपने सरोकार को अभिव्यक्त किया तथा पर्यावरण संरक्षण में अपनी सहभागिता का संकल्प लिया।

उत्कृष्ट एवं सराहनीय सेवाओं के लिए दिये गये सेवा चिन्ह

राजस्थान पुलिस अकादमी में कार्यरत पुलिस कर्मियों को दिनांक 19 जून 2017 को उनकी उत्कृष्ट एवं सराहनीय सेवाओं के लिए श्री राजीव दासोत, निदेशक आर. पी.ए. ने **सेवा चिन्ह** प्रदान किये। श्री कैलाश चन्द्र, सहायक उपनिरीक्षक व श्री महावीर सिंह हैका 45 को **सर्वोत्तम सेवा चिन्ह** तथा श्री रमेश सैनी, निरीक्षक पुलिस, श्री भगवतदास, हैका 9, श्री राजवीर हैका 03, श्री पूनम शर्मा कानि. 15, श्री महेन्द्र सिंह कानि. 76, श्री सत्यनारायण कानि. 79, श्री ओम प्रकाश कानि. 101, श्री प्रकाश चन्द कानि. 106 बैण्ड, श्री रोहिताश कुमार कानि. 145 बैण्ड, महेश कुमार कानि. 171 व श्री राजेन्द्र सिंह कानि. 184, श्री मुकेश कुमार ड्राइवर 125, को **अतिउत्तम सेवा** चिन्ह एवं श्री वीर सिंह कानि. 62 बैण्ड, श्री सुरेश कुमार कानि. 92, श्रीमती पुष्पा कानि. 124 व श्री रमेश चन्द कानि. 251 को **उत्तम सेवा चिन्ह** प्रदान किये गए।

श्रीमती पूनम चौधरी उप निरीक्षक को मिला केन्द्रीय गृहमंत्री मेडल

राजस्थान पुलिस अकादमी की श्रीमती पूनम चौधरी, उप निरीक्षक को भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2015–16 के लिए **पुलिस प्रशिक्षण में उत्कृष्ट कार्य के लिए केन्द्रीय गृहमंत्री मेडल** प्रदान किया गया है। यह मेडल पुलिस संगठनों, केन्द्रशासित प्रदेशों एवं केन्द्रीय पुलिस संगठनों के प्रशिक्षण संस्थों में उत्कृष्ट प्रशिक्षकों को प्रदान किया जाता है। प्रथम चरण में संस्था प्रधान की कमेटी द्वारा, द्वितीय चरण में अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (प्रशिक्षण) की अध्यक्षता वाली कमेटी द्वारा चयनित किये जाने के पश्चात् केन्द्रीय गृह मंत्रालय की विशेष टीम द्वारा पुलिस अधिकारियों को उनकी प्रशिक्षण दक्षता एवं प्रदर्शन के आधार पर इस मेडल के लिए चयनित किया जाता है।

श्रीमती पूनम चौधरी, राजस्थान पुलिस अकादमी में दिसम्बर 2007 से पदस्थापित है तथा इस दौरान उनके द्वारा विभिन्न कोर्सेज में कोर्स प्रभारी एवं सहायक कोर्स प्रभारी के रूप में कार्य करने के अतिरिक्त विभिन्न कार्यक्रमों में उद्घोषक के रूप में कार्य किया है। प्रशिक्षक के रूप में उनके द्वारा प्रशिक्षण सामग्री एवं प्रश्न बैंक तैयार करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है तथा वर्ष 2008, 2011 एवं 2012 में राज्य स्तरीय मानव अधिकार प्रतियोगिता में अंग्रेजी भाषा में प्रथम स्थान प्राप्त करने में सफल रही है।

आई.पी.एस. अधिकारियों को सेवानिवृत्ति पर दी गई विदाई

श्री गुरूचरण राय

श्री महेश गोयल

डॉ. रामदेव सिंह

भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी श्री गुरूचरण राय, महानिरीक्षक पुलिस, श्री महेश गोयल, महानिरीक्षक पुलिस एवं डॉ. रामदेव सिंह पुलिस अधीक्षक के पद से सेवानिवृत्त हुए। इनके सम्मान में आईपीएस एसोसिएशन द्वारा दिनांक 30 जून 2017 को विदाई पार्टी आयोजित की गई। इन अधिकारीयों के सम्मान में आयोजित रात्रि भोज में सेवारत एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों ने शिरकत की तथा सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी।

श्री सुभाष चन्द्र एवं श्री रामावतार वर्मा, सहायक कार्यालय अधीक्षक का सेवानिवृत्ति कार्यक्रम

श्री रामावतार वर्मा

दिनांक 30 जून 2017 को श्री रामावतार वर्मा, सहायक कार्यालय अधीक्षक पद से सेवानिवृत्त हुए। श्री रामावतार वर्मा ने अकादमी में लम्बे समय तक निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी के निजी सहायक के रूप में कार्य किया। श्री रामावतार अपने सेवाकाल में अत्याधिक कर्त्तव्यनिष्ठ रहे तथा अपने सौम्य स्वाभाव के कारण सभी के प्रिय रहे। इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए श्री वर्मा ने कहा कि उन्होंने पूरे सेवाकाल में कर्तव्यनिष्ठा से कार्य किया है तथा राजकीय सेवा को अपना धर्म समझते हुए ईमानदारी से अपने कर्त्तव्य का पालन किया है।

इस अवसर पर राजस्थान पुलिस अकादमी के निदेशक श्री राजीव दासोत ने श्री रामावतार वर्मा की कर्तव्यनिष्ठा की सराहना करते हुए उनके सीधे सरल व्यवहार को सभी के लिए अनुकरणीय बताया। उन्होने श्री वर्मा को सेवानिवृति पर बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी।

श्री सुभाष चन्द्र

राजस्थान पुलिस अकादमी से दिनांक 30 अप्रेल को श्री सुभाष चन्द्र, सहायक कार्यालय अधीक्षक पद से सेवानिवृत हुये। श्री सुभाष चन्द्र वर्ष 1982 में कनिष्ठ लिपिक के रूप में राजकीय सेवा में आये तथा अकादमी में मई 2007 में पुलिस मुख्यालय से स्थानान्तरण पर कार्य ग्रहण किया। अपने सेवाकाल के दौरान कर्त्तव्य निष्ठ कर्मचारी के रूप में श्री सुभाष चन्द्र ने अपनी पहचान बनाई। अकादमी में पद स्थापन के दौरान उन्होंने प्रशिक्षण शाखा के प्रभारी के रूप में उत्कृष्ट कार्य किया। इस अवसर पर बोलते हुए श्री सुभाष चन्द्र ने अपनी सेवाकाल में राजकीय कार्य को समय पर एवं त्रुटि रहित करने को अपनी प्राथमिकता बताया।

Beat your own record everyday
And you will surely get success,
Because SUCCESS is a fight between
'YOU WERE' and 'YOU ARE'.

Training Courses conducted during the Quarter from 01.04.2017 to 30.06.2017

Basic Training Courses

S.No.	Particulars	Batch No.	No. of trainees	Duration
1	PC (RAC) to SI(AP) Induction Course	20	8	19.12.2016 to 04.05.2017
2	Recruit Constable (Lady) Basic Course	66	189	20.06.2016 to 13.06.2017
3	Constable (Band Professional)	11	56	10.10.2016 to 09.06.2017
4	CISF Constable (Band Professional)	02	30	09.01.2017 to 08.09.2017
5	Recruit Constable (Band) Basic Course	67	6	24.04.2017 to 22.08.2017
6	PC (RAC) to SI(AP) Sandwich Course	19	13	29.05.2017 to 27.06.2017
7	Recruit Constable Basic Course	68	99	19.06.2017 to 18.03.2018
	Total		**401**	

Promotion Cadre Courses

S.No.	Particulars	Batch No.	No. of trainees	Duration
1	Promotion Cadre Course for FC to HC (Band)	06	14	06.02.2017 to 19.06.2017
2	Promotion Cadre Course for HC to SI (Band)	03	1	06.02.2017 to 03.04.2017
3	Promotion Cadre Course for SI to CI	71 72	94 109	30.01.2017 to 21.04.2017 24.04.2017 to 29.06.2017
			218	

In Service Courses

S.No.	Name of Training	No. of Batches	No. of trainees	Sponsored By
1	Investigation of Cyber Crime Cases	2	65	In House
2	Investigation of Organized Crime	2	66	In House
3	Investigation of Economic Offences	2	62	In House
4	Art of Supervision of Investigation for Senior Officer	2	36	In House
5	Refresher Course for CI	3	79	In House
6	Improvement in Police Behaviour	1	26	In House
7	Change Management	1	37	In House
8	Protection of Children	2	55 51	UNICEF
9	Sensitization on Gender Based Violence against Women & Girls	3	95 50 50	Save the Children
		18	**672**	

Every Extra ordinary Success is an accumulation of Thousands of Disciplined Ordinary Efforts...!!!

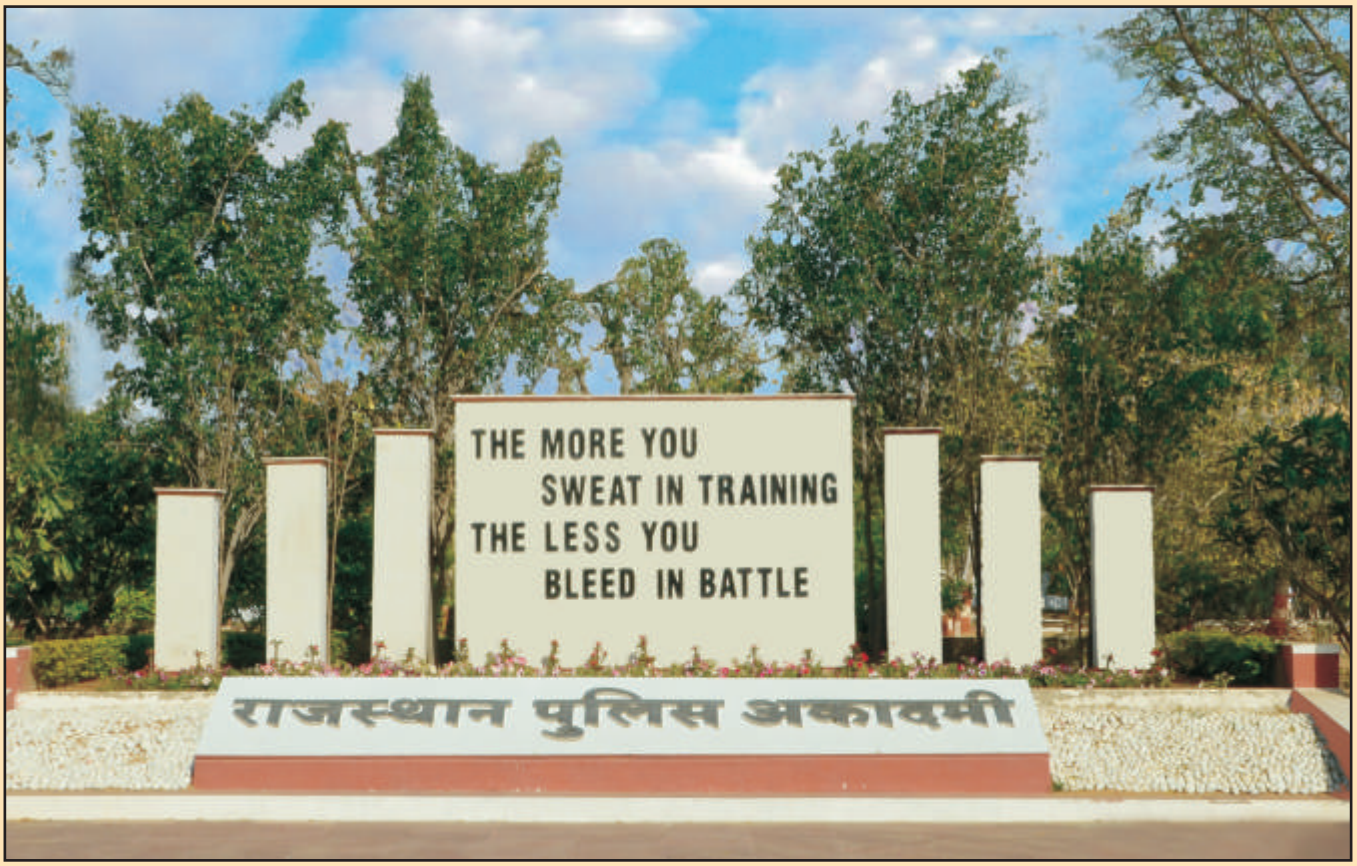

Editorial Board

Editor in Chief
Rajeev Dasot, IPS, Director

Editor
Jagdish Poonia, RPS

Members
Rajesh Kumar Sharma (DD)
Sanjeev Nain (AD)
Saurabh Kothari (AD)
Anukriti Ujjainia (AD)
Dilip Saini (AD)
Dheeraj Verma (Insp.)

Photographs by : Sagar
Typing by : Makhani

Rajasthan Police Academy
Nehru Nagar, Jaipur (Rajasthan) India
Ph. : +91-141-2302131, 2303222, Fax : 0141-2301878
E-mail : director.rpa@rajpolice.gov.in Web : www.rpa.rajasthan.gov.in

Premier # 0141-2295097